

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2021/186

दिनांक: 4 अगस्त, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265
दिनांक 02.11.2020

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क. स.	नम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	आशीष धुन्ना	विधि	राज.विधि.महा. भीलवाड़ा	रिफ्रेशर	18.08.2021से 31.08.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
2	अंजली शर्मा	गृहविज्ञान	राज.कन्या महा. बीकानेर	रिफ्रेशर	05.08.2021से 19.08.2021	रामानुजन कॉलेज दिल्ली
3	नरेन्द्र कुमार पनेरी	हिन्दी	राज.महा. बॉसवाड़ा	रिफ्रेशर	16.08.2021से 29.08.2021	गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद
4	सीमा ओझा	गृहविज्ञान	राज.कन्या महा. बीकानेर	रिफ्रेशर	05.08.2021से 19.08.2021	रामानुजन कॉलेज दिल्ली
5	जया अग्रवाल	राज. विज्ञान	राज.महा. बडीसादडी	रिफ्रेशर	26.04.2021से 11.05.2021	रामानुजन कॉलेज दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

3. बैवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।


(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)